भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
30.07.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 1664 का उत्तर

महाराष्ट्र में मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में जोड़े गए सामान्य श्रेणी के कोच

1664. श्री संजय दिना पाटील:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:
श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि सामान्य श्रेणी में यात्रा करने वाले कई गरीब यात्रियों को अत्यधिक भीड़ का सामना करना पड़ता है और उन्हें बहुधा विशेषकर महाराष्ट्र से गुजरने वाली ट्रेनों में सीटें नहीं मिलती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) एलएचबी-कोच ट्रेनों को बढ़ाने की पहल के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में चलने वाली और वहाँ से गुजरने वाली मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में सामान्य श्रेणी के कितने कोच जोड़े गए हैं;

(ग) क्या उक्त राज्य के लिए सामान्य श्रेणी यात्रा की मांग के संबंध में कोई डेटा रखा गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी पूर्ति हेतु जिलावार या जोनवार क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) उक्त राज्य में पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे जोनों के लिए सामान्य और शयनयान श्रेणी के कोचों सहित गैर-वातानुकूलित कोचों के निर्माण की योजना का ब्यौरा क्या है और इनकी तैनाती की अपेक्षित समय-सीमा क्या है; और

(ङ) उक्त राज्य में सामान्य श्रेणी के यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशनों पर अवसंरचना सहित अनारक्षित यात्रियों के लिए वहनीय, सुरक्षित और सम्मानजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे की दीर्घकालिक रणनीति क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): रेलवे ने साधारण श्रेणी में यात्रा की मांग करने वाले यात्रियों की सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि की है। केवल पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ही लंबी दूरी की विभिन्न रेलगाड़ियों में 1250 साधारण श्रेणी के सवारी डिब्बों का उपयोग किया गया।

अवातानुकूलित सवारी डिब्बों का प्रतिशत उल्लेखनीय रूप से बढ़कर लगभग 70% हो गया है, जैसा कि निम्नानुसार उल्लिखित है:

तालिका 1: सवारी डिब्बों का वितरण:

अवातानुकूलित सवारी डिब्बे (साधारण और शयनयान)	**लगभग 57,200**	**लगभग 70%**
वातानुकूलित सवारी डिब्बे	**लगभग 25,000**	**लगभग 30%**
कुल सवारी डिब्बे	**लगभग 82,200**	**100%**

साधारण श्रेणी सवारी डिब्बों की अधिक उपलब्धता के कारण, साधारण/अनारक्षित सवारी डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि का रुझान देखा गया है, जैसा निम्नानुसार दर्शाया गया है:

तालिका 2: साधारण/अनारक्षित सवारी डिब्बों में यात्रियों की संख्या:

वर्ष	**यात्रियों की संख्या**
2020-21	**99 करोड़ (कोविड वर्ष)**
2021-22	**275 करोड़ (कोविड वर्ष)**
2022-23	**553 करोड़**
2023-24	**609 करोड़**
2024-25	**651 करोड़**

पिछले कुछ वर्षों में अवातानुकूलित यात्रियों के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। वर्तमान संरचना निम्नानुसार है:

तालिका 3: सीटों का वितरण:

अवातानुकूलित सीटें	**लगभग 54 लाख**	**लगभग 78%**
वातानुकूलित सीटें	**लगभग 15 लाख**	**लगभग 22%**
कुल	**लगभग 69 लाख**	**100%**

उपर्युक्त आंकड़ों की दृष्टि से, यह स्पष्ट है कि भारतीय रेल निम्न और मध्यम आमदनी वाले परिवारों के लिए प्रतिबद्ध है, जो रेलों को परिवहन के एक किफायती साधन के रूप प्राथमिकता देते हैं।

रेलवे ने अमृत भारत एक्सप्रेस नामक एक पूर्ण रूप से अवातानुकूलित आधुनिक रेलगाड़ी विकसित की है। 14 रेलगाड़ी सेवाएँ पहले से ही परिचालित की जा रही हैं। इन

आधुनिक रेलगाड़ियों में झटके रहित यात्रा के लिए सेमी-परमानेन्ट कपलर, हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग विंडो, फोल्डेबल स्नैक टेबल और बोतल होल्डर, मोबाइल होल्डर आदि जैसी उन्नत सुविधाएँ हैं। इन गाड़ियों में 8 शयनयान श्रेणी और 11 साधारण श्रेणी के सावारी डिब्बे हैं।

साधारण और अवातानुकूलित शयनयान सवारी डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अधिक स्थान मुहैया कराने हेतु, मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों की संरचना से संबंधित मौजूदा नीति में 22 सवारी डिब्बों की एक रेलगाड़ी में 12 (बारह) साधारण श्रेणी एवं शयनयान श्रेणी अवातानुकूलित सवारी डिब्बों और 08 (आठ) वातानुकूलित सवारी डिब्बों का प्रावधान किया गया है, जिससे साधारण और अवातानुकूलित शयनयान सवारी डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अधिक स्थान मुहैया कराया जा सके।

इसके अतिरिक्त, अनारक्षित स्थान प्राप्त करने के इच्छुक यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, भारतीय रेल द्वारा किफायती यात्रा के लिए अनारक्षित अवातानुकूलित पैसेंजर गाड़ियों/एमईएमयू/ईएमयू आदि का परिचालन किया जाता है, जो मेल/एक्सप्रेस सेवाओं में उपलब्ध अनारक्षित स्थान (सवारी डिब्बे) के अतिरिक्त है।

अमृत भारत एक्सप्रेस गाड़ियों का विकास, मेमू गाड़ियों का विनिर्माण और साधारण सवारी डिब्बों की वृद्धि स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि भारतीय रेल द्वारा साधारण श्रेणी में यात्रा की मांग को प्रभावी रूप से पूरा किया जा रहा है।

अवातानुकूलित सवारी डिब्बों की मौजूदा उच्च हिस्सेदारी (कुल सवारी डिब्बों का लगभग 70%) के अलावा, रेलवे द्वारा अगले 5 वर्षों में 17,000 अवातानुकूलित साधारण/शयनयान सवारी डिब्बों के लिए एक विशेष विनिर्माण कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

<u>स्टेशन पुनर्विकास :</u>

भारतीय रेल में स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण एक निरंतर और सतत् प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्यों को आवश्यकतानुसार, पारस्परिक प्राथमिकता और निधि की उपलब्धता के अध्यधीन किया जाता है। विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए कार्यों को स्वीकृत करने और निष्पादित करते समय स्टेशनों के निम्नतर कोटि के स्टेशन की तुलना में उच्चतर कोटि के स्टेशन को प्राथमिकता दी जाती है।

रेल मंत्रालय ने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ स्टेशनों के निरंतर विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। इसमें रेलवे स्टेशन की आवश्यकता को देखते हुए स्टेशनों पर स्टेशन तक पहुंच, परिचलन क्षेत्र, प्रतीक्षालय, शौचालय, आवश्यकता के अनुसार लिफ्ट/एस्केलेटर, प्लेटफॉर्म की सतह में सुधार और प्लेटफॉर्म के ऊपर कवर, स्वच्छता, नि:शुल्क वाई-फाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं द्वारा स्थानीय उत्पादों के लिए

कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्दिष्ट स्थान, लैंडस्केलपिंग आदि जैसी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणबद्ध क्रियान्वयन शामिल है।

इस योजना में आवश्यकता, चरणबद्धता एवं व्यवहार्यता के अनुसार स्टेशन भवन में सुधार, स्टेशन का शहर के दोनों भागों के साथ एकीकरण, मल्टी-मोडाल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था आदि शामिल हैं और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेन्टरों के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

अब तक, महाराष्ट्र राज्य में 132 स्टेशनों सहित 1337 स्टेशनों को इस योजना के अंतर्गत विकसित करने के लिए चिह्नित किया गया है।

महाराष्ट्र राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों के विकास कार्यों को अच्छी गति में किया जा रहा है। अब तक, इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के 15 स्टेशनों (आमगांव, चांदा फोर्ट, चिंचपोकली, देवलाली, धुले, केडगांव, लासलगांव, लोनंद जंक्शन, माटुंगा, मुर्तिजापुर जंक्शन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जंक्शन, परेल, सावदा, शहाड, वडाला रोड) के चरण-I के निर्माण कार्यों को पूरा कर दिया गया है।

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत स्टेशनों के विकास का कार्य सहित स्टेशनों के विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण का सामान्य तौर पर वित्तपोषण योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाओं' के तहत किया जाता है। योजना शीर्ष-53 के तहत आवंटन और व्यय का ब्यौरा क्षेत्रीय रेलवे-वार रखा जाता है, न कि कार्य-वार या स्टेशन-वार या राज्य-वार। महाराष्ट्र राज्य चार रेलवे जोनों अर्थात मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे के क्षेत्राधिकार में आता है। इन जोनों के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 3,751 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसमें से अब तक 813 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है।
